

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-6  
संख्या-509/दो-6-2018-53(24)/2017  
लखनऊ : दिनांक : ०५ अप्रैल, 2018

**कार्यालय-ज्ञाप**

उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्य) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री चन्द्र प्रकाश, आई०ए०एस० को उनके स्वयं के दिनांक 08.11.2017 से 17.11.2017 तक डा० आर०एस० मिश्रा, मैक्स हास्पिटल, नई दिल्ली से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष रू०-3,307/- (रूपये तीन हजार तीन सौ सात मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री चन्द्र प्रकाश, आई०ए०एस० का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी  
विशेष सचिव।

**संख्या-509(1)/दो-6-2018-तददिनांक-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
- (4) अनुभागीय आदेश पुस्तिका/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।
- (5) श्री चन्द्र प्रकाश, आई०ए०एस०, समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

**संलग्नक:- यथोक्त।**

आज्ञा से,  
  
(कमला सिंह यादव)  
अनु सचिव।